श्री आदित्य कुमार दास,भा.प्र.से., जिलाधिकारी, जहानाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 06.07.2015 को आयोजित ''जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों'' की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही टिप्पणी :-

उपस्थिति : यथापंजी ।

दिनांक 06.07.2015 को जिलास्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए इस सप्ताह में किये जाने वाले कार्यों के लिए निम्नवत निदेश दिये गये तथा यह भी निदेशित किया गया कि अगली बैठक के पूर्व में दिये गये कार्यों का अनुपालन करते हुए बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन शनिवार तक निश्चित रूप से जिला गोपनीय शाखा, जहानाबाद को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति के साथ बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

क्र०	पदाधिकारी का नाम	इस सप्ताह में किये जाने वाले कार्य
1	1. उप विकास आयुक्त, जहानाबाद 2. निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जहानाबाद। 3. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद।	1.. <u>स्वच्छ भारत मिशन</u> : स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूर्व से जितने भी शौचालय का निर्माण हो चुका है, उन सभी का भुगतान सुनिश्चित करना। मखदुमपुर प्रखण्ड के कलानौर पंचायत एवं काको प्रखण्ड के उतर सेरथु पंचायत में शौचालय निर्माण का कार्य दिनांक 20.07.2015 तक निश्चित रूप से पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2. SECC : 12000 का जो आवेदन प्राप्त हुआ है, उसके निष्पादन के लिए अग्रेतर कार्रवाई करना एवं पूर्व के एवं वर्तमान में जो डाटा पब्लीश किया गया है, उसमें से जो डाटा अंतर आ रहा है, उसका एन. आई.सी. में फिल्टर कराते हुए उसकी सूची प्राप्त करना। 3. IAY : • आवास साफट पर इंदिरा आवास के फोटो अपलोड करने के लिए इंदिरा आवास सहायकों का मोबाईल प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना। • सभी प्रखण्डों में इंदिरा आवास की कितनी राशि है, द्वितीय किस्त के लिए कितने लाभूक का आवेदन प्राप्त है तथा कुल कितने लाभूक हैं, जिन्हें द्वितीय किस्त दिया जाना है। उपलब्ध राशि के अतिरिक्त कितनी और राशि की आवश्यकता है, इसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराना। मखदुमपुर एवं रतनी फरीदपुर प्रखण्ड में विशेष शिविर आयोजित कर वितरण कराना। • मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार योजना के तहत वैसे सभी इंदिरा आवास लाभूक जिनके द्वारा पूर्व में इंदिरा आवास योजना के तहत भवन का निर्माण किया गया है, वह अधूरा है, टूट गया है, छत क्षतिग्रस्त हो गया है या रहने के योग्य नहीं है, उसके मरम्मती के लिए सूची तैयार किया जाना है। जिसका फोटोग्राफ लेकर बैंक खाता खोलाकर उसे 30000/- रूपया की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव उपस्थापित किया जाना है। इसके लिए विभाग से 2925 का लक्ष्य निर्धारित है। निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन के द्वारा बताया गया कि इसके तहत 1000 लाभार्थियों की स्वीकृति प्रदान की गई है। निदेश दिया गया कि इन सभी के द्वारा कार्य प्रारम्भ किये जाने के संबंध में रेनडम जॉच हेतु जॉच दल का गठन करें। • वर्षवार प्रखण्डवार/ पंचायतवार इंदिरा आवास कितने लाभार्थियों की गई है, इसका सूची तैयार करना, उनमें से कितने को प्रथम एडवांस दिया गया, कितने को द्वितीय किस्त किया गया, कितने के द्वारा कार्य पूर्ण कराया गया, कार्य की भौतिक स्थिति क्या है, कितनी राशि अवशेष है, इसका प्रतिवेदन तैयार करना। जिनके द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उसका फोटो आवास साफट पर अपलोड करना। • प्रथम किस्त प्रखण्डवार कितने-कितने लाभुकों को दिया गया तथा उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया है अथवा नहीं? इसकी समीक्षा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनिश्चित किया जाना। • इंदिरा आवास से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों का जॉच प्रखण्ड प्रभारियों से उसी सप्ताह में सुनिश्चित कराना तथा जिनके पास जॉच लम्बित है, उनसे एक सप्ताह के अंदर जॉच सुनिश्चित कराना। • श्री अमित कुमार, वरीय उप समाहर्ता, जहानाबाद-सह-नोडल पदाधिकारी, सांसद आर्दश ग्राम योजना धराउत के द्वारा बताया गया कि धराउत से कुल 232 अनुसूचित जाति के लोगों के बी0पी0एल0 स्वीकृति के लिए आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के पास भेजा गया है,